AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य क्षेत्र में निवासित जनसंख्याः एक भौगोलिक अध्ययन

ORIGINAL ARTICLE

Author
जीतेन्द्र कुमार होता
सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग
दुर्गा महाविद्यालय
रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

प्राचीन काल से मानव एवं वन क्षेत्र का घनिष्ठ संबंध रहा है। अध्ययन क्षेत्र छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य केवल वन्य जीवों का निवास केंद्र ही नहीं बल्कि संपूर्ण क्षेत्र के मूल आवश्यकता एवं सर्वांगीण विकास में प्रमुख योगदान है। यह क्षेत्र पर्यावरण संतुलन के लिए तथा पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका है, इसके साथ इन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या, अन्य ग्रामीणों या शहरी क्षेत्र की जनसंख्या के जीवन स्तर में रहन–सहन, खान पान, वेशभूषा से अपनी अलग पहचान रखती है। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य क्षेत्र एक पारिस्थितिकी संतुलन क्षेत्र है जहां पर वन्य प्राणी एवं वनस्पतियों का पूर्ण विकास उत्तम है। प्राकृतिक अनुकूलन क्षेत्र के साथ कृत्रिम क्षेत्र का भी विकास होता है, जिसको पूर्ण संरक्षित एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए उन क्षेत्रों में निवासित जनसंख्या का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य क्षेत्र में रहने वाले जनसंख्या के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की सुविधा प्रदान करना तथा उनके सामाजिक आर्थिक स्थितियों को जानना एवं समझना प्रत्येक के लिए आवश्यक है जो की क्षेत्रगत विकास ही नहीं पूरे प्रदेश एवं देश को विकसित करने में एक छोटा सा श्रेष्ठ माध्यम है। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य क्षेत्र में निवासी जनसंख्या की समस्याएं तथा समस्या निराकरण के विभिन्न उपायों को लागू करने के लिए विभिन्न समिति तथा राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित नीति एवं अधिनियमों का सुचारू रूप से पालन करना अत्यंत आवश्यक है जिससे छत्तीसगढ पारिस्थितिकी पर्यटन प्रदेश स्थापित होगा।

मुख्य शब्द

पर्यटन, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, आर्थिक.

भूमिका

मानव पर्यटन के द्वारा संसार के विभिन्न भागों से अवगत होते रहता है। पर्यटन हमें शिक्षा, मनोरंजन एवं रोजगार के अवसर प्रदान करता है। राज्य के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य प्रमुख पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल है, जहां स्थानीय एवं विदेशी पर्यटक देशाटन करते हैं। राज्य के पर्यटन केन्द्र के स्थानीय निवासियों, शासकीय एवं अशासकीय संगठनों के द्वारा पारिस्थितिकी पर्यटन के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए, प्रबंधन एवं नियोजन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ अपना अलग पहचान बना सके तथा राज्य का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास हो सके।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैः

1. छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के पर्यटन की स्थिति का अध्ययन करना।
2. राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में स्थित गांव की सामाजिक–आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन करना।
3. छत्तीसगढ़ में पारिस्थितिकी पर्यटन एवं विकास की संभावनाओं की खोज करना।

शोध परिकल्पना

H_1: पर्यटन से निवासित जनसंख्या का सकारात्मक विकास होता है।

H_2: अशिक्षा एवं अप्रशिक्षित जनसंख्या से पारिस्थितिकी पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव होता है।

H_3: पारिस्थितिकी पर्यटन विकास से प्रदेश के विकास पर सकारात्मक प्रभाव होता है।

अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण असमान है। जनसंख्या भौगोलिक अध्ययन का महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु है। क्योंकि जनसंख्या किसी भी राष्ट्र, राज्य, प्रदेश के विकास का आधार है जिससे स्वाभाविक है, राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के विकास, संरक्षण एवं संवर्धन में जनसंख्या का प्रमुख योगदान होता है।

छत्तीसगढ़ः राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में जनसंख्या (2001)

क्रं.	राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या	प्रतिशत	घनत्व व्यक्ति (वर्ग कि.मी.)
1	इन्द्रावती	2799.086	8042	8.03	03
2	कांगेरघाटी	200.000	623	0.62	04
3	गुरू घासीदास	1490.705	4928	4.91	03
	योग	4439.791	17593	–	–
4	भैरमगढ़	138.950	3099	3.09	22
5	सीतानदी	553.360	11365	11.32	21
6	अचानकमार	551.552	7709	7.68	14
7	बादलखोल	104.454	836	0.83	08
8	बारनवापारा	244.660	8771	8.74	36
9	सेमरसोत	430.361	34172	34.05	79
10	तोमरपिंगला	608.527	2270	2.26	04
11	पामेड़	262.120	5825	5.81	22
12	गोमर्डा	277.820	7237	7.21	26
13	उदन्ती	247.890	5200	5.18	21
14	भोरमदेव	163.800	280	0.28	02
	योग	3583.194	86664	100.00	–
	कुल योग	**8022.985**	**100357**	–	**13**

*(**स्रोतः** अपर प्रधान मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक रायपुर छत्तीसगढ़)*

छत्तीसगढ़ के तीन राष्ट्रीय उद्यान, एवं ग्यारह अभ्यारण्य की सीमा के अन्तर्गत ग्राम की कुल संख्या 320 है। राष्ट्रीय उद्यान ग्रामों में 13593 तथा अभ्यारण्य ग्रामों में 86764 अर्थात कुल 100357 व्यक्ति निवास करते हैं जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 0.48 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत वन ग्राम की संख्या 425 तथा जनसंख्या 1,26,584 हैं (2001)।

राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों की कुल जनसंख्या का इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान में 8.03 प्रतिशत, कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान में 0.62 प्रतिशत, तथा गुरू घासीदास में 4.91 प्रतिशत निवास करती हैं जबकि सेमरसोत अभ्यारण्य में 34.08 प्रतिशत, सीतानदी अभ्यारण्य में 11.32 प्रतिशत, बारनवापारा अभ्यारण्य 8.76 प्रतिशत, गोमर्डा अभ्यारण्य 7.

21 प्रतिशत, भोरमदेव अभ्यारण्य में सबसे कम 0.28 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती हैं।

राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग कि.मी. 13 व्यक्ति है। गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में जनसंख्या घनत्व 3 व्यक्ति, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 4 व्यक्ति, इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान में 3 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. हैं जबकि अभ्यारण्यों में सेमरसोत अभ्यारण्य में 79 व्यक्ति, बारनवापारा अभ्यारण्य में 36 व्यक्ति, गोमर्डा अभ्यारण्य में 26 व्यक्ति, पामेड़ एवं सीतानदी अभ्यारण्य में 22 व्यक्ति, भोरमदेव अभ्यारण्य में सबसे कम 2 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. निवास करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या ग्रामीण है जिसमें 0 से 200 जनसंख्या वाले 139 गांवों में 14722 जनसंख्या (14.584 प्रतिशत); 200 से 400 जनसंख्या वाले 92 गांवों में 27012 जनसंख्या (26.943 प्रतिशत); 400 से 600 जनसंख्या वाले 43 गांवों में 20630 जनसंख्या (20.569 प्रतिशत); 600 से 800 जनसंख्या वाले 26 गांवों में 17889 जनसंख्या (17.843 प्रतिशत) हैं जबकि 800 से 1000 जनसंख्या वाले 08 गांवों में 7101 जनसंख्या (07.2052 प्रतिशत), एवं 1000 से अधिक जनसंख्या वाले 11 गांवों में 13013 जनसंख्या (12.981 प्रतिशत) निवास करती है। यहां सेमरसोत अभ्यारण्य के अन्तर्गत बैरागों ग्राम उजाड़ है।

गांव एवं जनसंख्या का वितरण, (2001)

जनसंख्या	गांव की संख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत
उजाड़	01	0.3125	00	00.00
0 से 200	139	43.4375	14622	14.584
200 से 400	92	28.7500	27012	26.943
400 से 600	43	13.4375	20620	20.567
600 से 800	26	08.1250	17889	17.843
800 से 1000	08	02.5000	7101	7.2082
1000 से अधिक	11	03.4345	13013	12.981
योग	**320**	**100.0000**	**100257**	**100.000**

*(**स्रोतः** अपर प्रधान मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक रायपुर छत्तीसगढ़)*

छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानो एवं अभ्यारण्यो के गांवों में जनसंख्या प्रतिरुप विषम है, जिसमें 0 से 200 जनसंख्या वाले गांव की संख्या 43.44 प्रतिशत सर्वाधिक तथा 800 से 1000 जनसंख्या वाले गांव में संख्या 2.50 प्रतिशत, सबसे कम विस्तृत है।

राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के अन्तर्गत स्थित वन ग्रामों में सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति उसके बाद पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग की है। इनका मुख्य व्यवसाय वनोपज संग्रहण एवं कृषि कार्य है। यहां के स्थानीय

छत्तीसगढ़ः गॉव एवं जनसंख्या का वितरण (2001) राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य

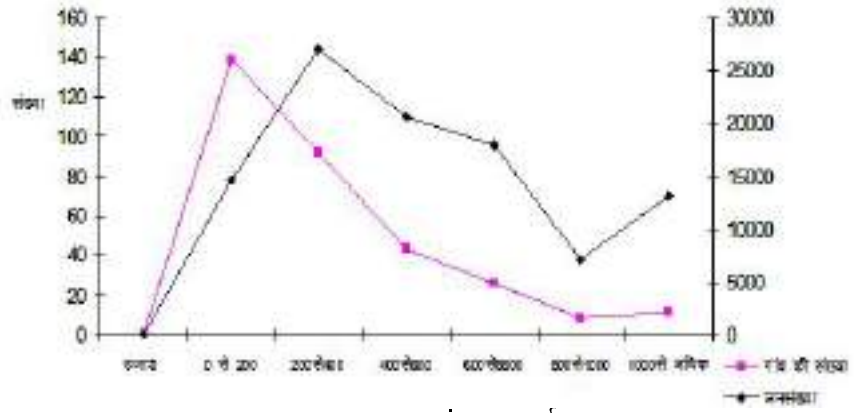

जनसंख्या वर्गान्तर

लोगों के अर्थिक विकास को राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के विकास के साथ तथा ग्राम विकास के लिए निवासियों को वन प्रबंधन सुरक्षा तथा पर्यटन के साथ जोड़ा जा सकता है जिससे इनका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष मजबूत हो सके। पर्यटन क्षेत्रों से अनेक लाभ को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाए जिससे राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के विकास तथा उद्देश्य की पूर्ति के प्रति उनके मन में आस्था उत्पन्न हो। जनसंख्या को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:

1. वनक्षेत्र अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों के निश्चित सीमांकित क्षेत्रों से जलाऊ लकड़ी संग्रह करने की अनुमति रहती है।
2. वनक्षेत्र से वनोपज संग्रह करते हैं जिससे वनोपजों पर आधारित उद्योगों को कच्चेमाल की आपूर्ति होती है जैसे गोंद, लाख, बांस, पत्ते, इमली, महुआ, चारगुठली, धवई फूल, तीखूर, अर्जुन छाल, नागर मोथा, शहद, कोसा, इत्यादि।
3. विस्तृत चरागाह क्षेत्रों की उपलब्धता से पशुपालन होता है।
4. पारिस्थितिकी संतुलन से जनसंख्या को प्रमुख सहयोग होता है।
5. पारिस्थितिकी पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित होने से पर्यटकों के आगमन पर ग्रामीणों को सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।
6. स्थानीय हस्तकलाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों में विकास हुआ है।

सामाजिक व्यवस्था

यहां की जनसंख्या में जनजातियों की संख्या अधिक है। गोड में गंधर्व विवाह, 15 से 18 वर्ष की उम्र में हो जाती है। इनमें मृतात्माओं की पूजा, देवी–देवता की पूजा तथा बली प्रथा प्रचलित है। मुडिया में सगोत्रीय विवाह वर्जित है, शराब पीना पवित्र मानते हैं। हल्बा कबीर पंथ के अनुयायी होते हैं, इनमें तलाक तथा विधवा विवाह प्रचलित है। उरांव में विधवाविवाह, बालविवाह, बहुविवाह प्रचलित है। बैगा में सगोत्र विवाह, बाल विवाह वर्जित है, वधू–मूल्य चुकाना होता है। कमार में चचेरे–ममेरे, तथा मौसेरे भाई–बहनों में विवाह होता है। कोरवा में वधू–मूल्य चुकाना, तलाक, बहुविवाह की प्रथा है। ये दूल्हा देव की पूजा करते हैं, इनमें अंधविश्वास तथा टोना टोटका भी प्रचलित है। कोरकू शिव की पूजा करते हैं, चचेरे–ममेरे, तथा मौसेरे भाई–बहनों में विवाह वर्जित है।

वन विभाग की योजना

वनक्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों) की जनसंख्या को मुख्यतः आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावित विकास कार्य संचालित किए गए हैं:

1. पारिवार मूलक योजना के अन्तर्गत आर्थिक आय में वृद्धि के लिए मुर्गीपालन, सुअर पालन, दोना पत्तल निर्माण, चना–मुर्रा व्यवसाय एवं सायकल सुधारने, दर्जी कार्य, इत्यादि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
2. भूमि एवं कृषि सुधार हेतु योजना में वन ग्रामवासियों के आर्थिक स्तर की वृद्धि के लिए उन्नत प्रजाति के बीजों का वितरण, कृषि भूमि सुधार कार्य, कृषि औजारों तथा बैलों के प्रदाय की व्यवस्था है।
3. पेयजल एवं सिंचाई सुविधा का विकास, उन्नत कृषि कार्य के लिए सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण, तालाब तथा स्टाप डेम का निर्माण एवं पम्प सेट प्रदान किया जाता है जिसमें स्वच्छ पेयजल की सुविधा होती है।
4. रोजगार के अवसर बढ़ाने की योजना में वन ग्रामीणों के लिए मधुमख्खी पालन, फलदार वृक्षों का रोपण, कृषि वानिकी, खाद्यान्न बैंक की स्थापना, मछली पालन, सवई रस्सी निर्माण शामिल है।
5. पशु नस्ल सुधार तथा चिकित्सा योजना के अन्तर्गत ग्रामीणों को गाय एवं भैंस देकर संकट प्रजाति के नस्ल को विकसित करते हैं।
6. अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों के अन्तर्गत गांव के निवासियों के लिए सोलर कुकर, धुंआ रहित चुल्हा, गोबर गैस, विद्युत की व्यवस्था तथा सौर ऊर्जा का विकास किया गया है जिसका ग्रामीण लाभ लेते हैं।

7. यहां शिक्षा के प्रसार में प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा अनिवार्य किया गया है।
8. उचित मूल्य की सहकारिता दुकान की व्यवस्था है।
9. हस्त कलाओं सामग्रियों को विक्रय केन्द्र से जोड़ कर हस्त कलाओं का विकास एवं प्रोत्साहन किया जा रहा है।
10. तेन्दुपत्ता संग्रहकों को निशुल्क चरणपादुका प्रदान करना।

जनसंख्या की समस्या

छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के अन्तर्गत स्थित गांव की जनसंख्या विकास के लिए राज्य एवं केन्द्र शासन का प्राथमिक सहयोग है इसके बावजूद यहां के ग्रामीणों की अनेक समस्याएं प्रत्यक्ष प्रदर्शित होती है जो निम्नलिखित हैः

1. वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या यह है कि ग्रामीणों को अपनी सुरक्षा की निश्चितता नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त नक्सली हमला हो जाता हैं जिससे आंतकी भय बना रहता है।
2. संचार साधनो की पूर्ण सुविधा नहीं है।
3. कृषि व्यवसाय को विकसित करने के उचित अवसर उपलब्ध नहीं है।
4. चिकित्सा एवं शिक्षा की पूर्ण सुविधा नहीं है।
5. उत्पादित वनोपज, लधु उद्योगों से प्राप्त वस्तुओं का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है।
6. आवश्यकतानुसार सहकारी उचित मूल्य की दुकान उपलब्ध नहीं होने से राशन के लिए दूरी तक पैदल जाना पड़ता है।
7. वन्य जीवों के आक्रमण का भय बना रहता है जिससे जन–धन की हानि होती है।
8. राज्य/देश/विदेश की नवीनतम वस्तु–स्थिति से अनभिज्ञ हैं।
9. ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।

जनसंख्या समस्या के निराकरण के उपाय

1. नक्सल प्रभावी को मुक्त क्षेत्र निर्मित करने के लिए, पुलिस एवं सैनिक की पूर्ण व्यवस्था होना चाहिए।
2. परिवहन मार्ग की पूर्ण सुविधा करना।
3. कृषिवानिकी अनुसंधान एवं सहकारिता केन्द्र की स्थापना करना।
4. ग्रामीण जनजाति विकास के लिए सामाजिक वानिकी से संबंधित अनुसंधान होना चाहिए।
5. वनों को आर्थिक लाभ का स्रोत न मानकर राज्य में पर्यावरण स्थापना एवं पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता देना ।
6. स्थानीय जनसमुदाय को वन्य जीवों के प्रकोप से स्व–सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
7. वन्य जीवों से सुरक्षा की नीतियों को लागू कर ग्रामीणों को जन–धन, क्षति–पूर्ति की व्यवस्था होना चाहिए।
8. प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, की नीतियों को लागू कर जागरुक एवं प्रोत्साहित करना चाहिए।
9. उत्पादित वस्तुओं के क्रय–विक्रय के लिए उचित बाजार की व्यवस्था होना चाहिए।
10. ग्रामिणों को वन्य जीवों से सुरक्षा के लिए वन्यजीव ;रिजर्वद्ध सुरक्षित आवास बनाया जावे।
11. वन्य जीवों के दल मुखिया जैसे मादा हाथी को रेडियो कॉलर पहनाने का विचार करना चाहिए जिससे दल की स्थिति का अंदाज लगा कर ग्रामीण अपने को हानि से बचा सकते हैं।

सरकारी नीतियां

1. वन ग्राम की जनसंख्या को साक्षर करना एवं रोजगार की सुविधा प्रदान करना है।
2. शिशु मर्त्यता को कम तथा शुद्ध जन्म दर बढ़ाने के लक्ष्य को प्रोत्साहन के नए पैकेज प्रारंभ किया गया है।
3. मातृत्व मर्त्यता को कम तथा महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य सम्बन्धित अधूरी आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया गया है।
4. वन ग्रामीणों को वन परिक्षेत्र में भू–स्वामित्व का अधिकार देना है।
5. निश्चित सीमा के अन्तर्गत वनोपज संग्रहण का अधिकार देना।
6. जंगल सफारी योजना के अन्तर्गत वन ग्राम व्यवस्थापन नीति में प्रति परिवार 10 लाख रु. व्यय का प्रावधान है।
7. वन्य जीवों से ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए सोलर पावर फेसिंग की व्यवस्था तथा बाघ रिजर्व, मगरमच्छ रिजर्व, हाथी रिजर्व, की घोषणा की गई है।
8. वन्य जीवों द्वारा हानि से मुआवजा की व्यवस्था– जिससे घरेलू पशु हानि से 5,000रु., जन हानि से 1,00,000 रु., स्थाई अपंगता में 2,00,000 रु., जन घायल में 7,500 रु. तथा सम्पत्ति हानि की स्थिति में कलेक्टर द्वारा किए गए वास्तविक आंकलन के आधार पर भुगतान करना है।
9. वन ग्रामीणों को सरकारी नौकरियों में छुट भी दी जाती है।
10. माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति की व्यवस्था होती है।
11. वन्य जीवों से संबधित अपराध प्रकरणों के लिए विधिक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।
12. पारिस्थितिक पर्यटन के रुप में विकसित करने की योजनाएं संचालित है।

संदर्भ सूची

1. हीरालाल (1999) *जनसंख्या भूगोल,* वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर, पृ. 401–403।
2. मौर्य, एस. डी. (2008) *जनसंख्या भूगोल,* शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृ. 451।
3. तिवारी, डी.एस. (1989) *वन आदिवासी एवं पर्यावरण,* शांति प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. 28।
4. तिवारी, विजय कुमार (2001)*पर्यावरण और पारिस्थितिकी,* हिमालय पब्लिसिंग हाऊस, गिरगॉव, मुम्बई, पृ. 183।
5. वन विभाग (2006) *ग्रामीण एवं वन–विकास का धमतरी मॉडल,* धमतरी वन मंडल, धमतरी।
6. वन प्राणी संरक्षक (2001) सांख्यिकी अभिलेख, राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के अन्तर्गत निवासरत परिवार की जानकारी, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग, रायपुर।
7. वन संरक्षक (2009) संयुक्त वन प्रबंधन संचालन मार्ग दर्शिका एवं परिपत्र, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।

––==00==––